कार्यालय– जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर (राज.)

क्रमांकः स्था0 / 2014 / 04 दिनांकः19 / 07 / 2014

:: विज्ञप्ति ::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिपत्र नम्बर 09 / पीआई / 2014 दिनांक 24.06.2014 के निर्देशानुसार अजमेर न्यायक्षेत्र के रिक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदो पर जिनका विवरण नीचे दिया गया है, नियमानुसार भर्ती की जानी है। रिक्तियों की संख्या रिक्तियों के निर्धारण में किसी त्रुटि के कारण अथवा प्रशासनिक कारणों से या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अन्तर जिला स्थानान्तरण किये जाने के फलस्वरूप घटाई–बढाई जा सकती हैं। उक्त रिक्त पदों हेतु रनिंग पे बैण्ड–1 5200–20200 ग्रेड पे 1700 / – रूपये प्रतिमाह में, राजस्थान सरकार के वित्त विभाग की अधिसूचना ***F-14(1)F.D. (Rules)/2013-II*** जयपुर, दिनांकः 28.06.2013 के अनुसार दो वर्ष तक देय नियत पारिश्रमिक 5400 / – रूपये प्रतिमाह (प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में) अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत पारिश्रमिक पर उक्त रिक्त पदों पर भर्ती / नियुक्ति हेतु राजस्थान चतुर्थ श्रेणी (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम 1999 के अन्तर्गत ऑन–लाईन प्रार्थना–पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक के आवेदन पत्र जिला न्यायालय अजमेर की वेबसाईट ***www.djcourtajmerexam.in*** से भरे जा सकेंगे। इस हेतु आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि का इन्तजार किये बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाईन आवेदन करें। आवेदन पत्र भरने की ***अंतिम तिथि 07.08.2014 को रात्रि 11:59 बजे है (इसके उपरान्त लिंक निष्क्रिय हो जायेगा)*** ऑन–लाईन आवेदन शुल्क ई–मित्र या जन सुविधा केन्द्र (सी.एस.सी.) के माध्यम से ***दिनांक 07.08.2014 तक सायं 5.00*** बजे तक ही जमा कराया जा सकता है। आवेदक को आवेदन पत्र को भरने से पहले ई–मित्र / जन सुविधा केन्द्र (सी.एस.सी.) के किसी कियोस्क पर जाकर परीक्षा हेतु ट्रांजिक्शन आई.डी. प्राप्त करना होगा तत्पश्चात् ऑनलाईन फार्म भरा जा सकेगा।

विशेष नोट :–

I. ऑनलाईन एप्लीकेशन फार्म में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन में सुधार हेतु कोई पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

II. **आरक्षण की स्थिति व नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के नवीनतम निर्देशों एवं नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी।**

रिक्तियों का विवरण निम्न प्रकार है

सामान्य (52)		अनुसूचित जाति (6)		अनुसूचित जनजाति (5)		योग
सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	
41	11	04	02	04	01	63

नोटः–

(क) **महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण प्रवर्गानुसार 30 प्रतिशत है, जिसमें से 8 प्रतिशत विधवा महिला अभ्यर्थियों तथा 2 प्रतिशत परितक्यता महिला अभ्यर्थियों के लिए होगा।**

(ख) **विशेष योग्यजन के लिए रिक्तियों का 3 प्रतिशत आरक्षण होगा।**

(ग) **उत्कृष्ठ खिलाडी के लिए रिक्तियों का 2 प्रतिशत आरक्षण होगा।**

(घ) **भुतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का 15 प्रतिशत आरक्षण होगा।**

01 आवेदन प्रकिया :–

(क) आवेदन ***Online Application Form*** में लिये जायेंगे जिन्हें राज्य के निर्धारित ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से भरा जा सकता है। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा ***रुपये 30 / –(रुपये 20 / – आवेदन–पत्र भरने हेतु + रुपये 10 / – आवेदन शुल्क जमा कराने हेतु)*** की राशि सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप में देनी होगी। आवेदक यदि स्वयं अपने स्तर पर ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरना चाहता है, तो वह ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर केवल आवेदन शुल्क जमा कराकर पर एवं जिला एवं सेशन न्यायालय, अजमेर की वेबसाइट ***www.djcourtajmerexam.in*** पर स्वयं आवेदन भर सकता है। इस स्थिति में उसे वहां आवेदन शुल्क जमा कराने हेतु मात्र रुपये 10 / – ही सेवा शुल्क देना होगा। ऑनलाइन आवेदन को भरने के लिये अनुदेश व प्रपत्र उक्त वेब–साइट पर उपलब्ध है। कियोस्क द्वारा आवेदन भरवाने पर आवेदक को रुपये 20 / – की रसीद पृथक से कटवानी होगी। ***हाथ से भरे गए आवेदन–पत्र किसी भी रूप में विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाऐंगे।***

(ख) ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तथा नेट बैंकिंग से आवेदन शुल्क के भुगतान की सुविधा के लिए ई–मित्र पोर्टल पर आवश्यक कॉलम की पूर्ति करने के उपरान्त वहां से प्राप्त टोकन नम्बर को यथावत उसी प्रकार से विभाग के ऑनलाइन फार्म में भरें।

(ग) अभ्यर्थी यह ध्यान दें कि ऑनलाईन आवेदन के उपरान्त उन्हें आवेदन–पत्र का प्रिंट उपलब्ध होगा

और यदि आवेदन–पत्र प्रिंट प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन–पत्र जमा नहीं हुआ है।

02 ***आवेदन शुल्क–***आवदेक अपनी श्रेणी के अनुरूप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों हेतु निम्नानुसार आवेदन शुल्क राज्य के निर्धारित ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र ***(C.S.C.)*** के माध्यम से विभाग को भेजे :–

I. सामान्य, अन्य पिछडा वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग आवेदक हेतु (अधोवर्णित श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य सभी श्रेणियों के आवेदक सम्मिलित)– **150 रूपये**

II. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक जो राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी हैं– **75 रूपये**

III. विशेष योग्यजन श्रेणी के समस्त आवेदक (जिसमें अ.जा./अ.ज.जा. सामान्य सभी श्रेणी के विशेष योग्यजन सम्मिलित हैं एवं विधवा, परितक्यता, बी.पी.एल. कार्ड धारक तथा क्रम संख्या–1 व 2 में वर्णित श्रेणियों के अतिरिक्त सभी के लिये – **50 रूपये।**

नोट :–

राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./वि.पि.व. के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जावेगा।

(i) ***ऑनलाइन आवेदन का निर्धारित सेवा शुल्क रुपये 30/– (रुपये 20/– आवेदन–पत्र भरने हेतु + रुपये 10/–आवेदन शुल्क जमा कराने हेतु)।***

(ii) ऑनलाईन आवेदन में सुविधा हेतु आवेदक आवेदन–पत्र का प्रारूप विभाग की वेबसाईट से डाउनलोड कर लें और उसे ऑनलाईन आवेदन से पूर्व हाथ से भर लें। यह प्रारूप ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर निःशुल्क उपलब्ध होगा।

(iii) आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन–पत्र अंतिम रूप से भेजने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों का प्रिंट आउट लेकर आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही–सही भरी गईं हैं।

(iv) आवदेकों की सुविधा के लिए राज्य के समस्त ई–मित्र कियोस्क तथा जन सुविधा केन्द्र **(C.S.C.)** की सूची सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। राजस्थान राज्य से बाहर के अभ्यर्थी जहाँ ई–मित्र कियोस्क तथा जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) नहीं हैं वे सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध सूची से उनसे व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर आवेदन शुल्क जमा करा सकते हैं।

03. राष्ट्रीयता :–

अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो या नेपाल या भूटान का प्रजाजन एंव राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम 1999 के नियम 11 में वर्णित व्यक्ति।

04. आयु :–

आवेदक 1 जनवरी 2015 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 35 वर्ष का नहीं हुआ हो, परन्तु यह कि ऊपर उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में :–

a) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पुरूष अभ्यर्थियों को, जो राजस्थान के मूल निवासी हैं, के मामले में आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी। **राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी नहीं होने पर आवेदक को सामान्य वर्ग का माना जावेगा।**

b) सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

c) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों को, जो राजस्थान के मूल निवासी हैं, के मामले में आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।

स्पष्टीकरणः–

किसी वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

d) रिजर्विस्टों अर्थात रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा कार्मिकों और भूतपर्वू सैना कार्मिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी। भूतपूर्व सेना कार्मिकों हेतु राजस्थान सिविल सेवा (भूतपर्वू सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के नियमानुसार उच्चतम आयु सीमा 50 वर्ष में सैन्य क्रास/वीरचक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिलन योग्य होगी।

e). विधवा और विवाह–विछिन्न महिला के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।

स्पष्टीकरण : विधवा महिला को सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विवाह–विछिन्न महिला के मामले में उसे विवाह विच्छेद का

प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

f). एन.सी.सी. के कैडिट–प्रशिक्षकों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जायेगी और यदि परिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जायेगा।

g). राजस्थान विशेष योग्यजन का, नियोजन नियम 2000 के अंतर्गत –

(i) सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 10 वर्ष

(ii) पिछडा वर्ग, विशेष पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 13 वर्ष

(iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये 15 वर्ष की छूट होगी।

h) भूतपूर्व कैदी के मामले में, जो दोषसिद्धि से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी (Substantive) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति का पात्र था, के लिये अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।

i) अन्य भूतपूर्व कैदी के मामले में, जो दोषसिद्धि से पर्वू अधिकायु का नहीं था और इन नियमों के अन्तर्गत नियुक्ति के लिए पात्र था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।

उपरोक्त आयु सम्बन्धी वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान ''Non Cummulative'' है अर्थात अभ्यर्थी को उपरोक्त वर्णित किसी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छटू का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों में विहित छूट जोड़कर छूट का लाभ देय नहीं होगा।

05. <u>शैक्षणिक योग्यता</u> :–

उक्त पद हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को किसी राजकीय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल से कम से कम **पांचवी कक्षा उत्तीर्ण** किया हुआ होना चाहिए तथा देवनागरी लिपि में हिन्दी का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए।

06. <u>शारीरिक योग्यता</u> :–

आवेदक का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए (तामील कराने बाहर जाने हेतु, झाडू, पोंछा, सफाई करने, आवाज लगाने, फाईलों बस्तों के लाने ले जाने व रखरखाव इत्यादि कार्य हेतु सक्षम हो) तथा उसमें ऐसा कोई शारीरिक अथवा मानसिक दोष नहीं होना चाहिये जो उसके कार्य निष्पादन में बाधा उत्पन्न करता हो। नियुक्ति के समय अभ्यर्थी को सक्षम चिकित्सा अधिकारी का इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

07. <u>पेंशन योजना एवं स्थाई पारितोषण</u> :–

राज्य सरकार के आदेश क्रमांकः एफ.15(7)एफ.डी.(रूल्स)/97 दिनांकः 14.01.2004 तथा राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.12(8)एफ.डी.(रूल्स)/05 दिनांकः 13.03.2006 के अन्तर्गत नियुक्त होने वाले अभ्यर्थी पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना, मेडिकल अटेण्डेण्ट रूल्स तथा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि सम्बन्धी सभी नये नियम लागू होंगे ।

08. <u>पात्रता एवं चरित्र</u> :–

आवेदक को दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र, जो आवेदक के रिश्तेदार न हो एवं छः माह से अधिक पुराने नहीं हों, भी साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करने होंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

09. <u>आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि</u> :

आवेदन पत्र ऑन–लाईन भरना अनिवार्य है, आवेदन पत्र जिला न्यायालय अजमेर की वेबसाईट *<u>www.djcourtajmerexam.in</u>* से भरे जा सकेंगे, आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि ***<u>07.08.2014 को रात्रि 11:59 बजे है (इसके उपरान्त लिंक निष्क्रिय हो जायेगा)</u>*** ऑन–लाईन आवेदन शुल्क ई–मित्र या जन सुविधा केन्द्र (सी.एस.सी.) के माध्यम से दिनांक ***<u>07.08.2014 सांयकाल 5:00 बजे</u>*** तक ही जमा कराया जा सकता है। आवेदक को आवेदन पत्र को भरने से पहले ई–मित्र के किसी कियोस्क पर जाकर परीक्षा हेतु ट्रांजिक्शन आई.डी. प्राप्त करना होगा तत्पश्चात् ऑनलाईन फार्म भरा जा सकेगा। जहां शुल्क लागु हो वहां ई–मित्र के

कियोस्क पर जमा कराना होगा। आवेदन पत्र शुल्क के अलावा ई–मित्र को सेवा प्रभार नियमानुसार देय होगा जो प्रत्येक अभ्यर्थी को देना होगा। सेवा प्रभार में किसी भी अभ्यर्थी को कोई छूट प्राप्त नहीं होगी। अतः इस हेतु आवेदक ऑन–लाईन आवेदन की अंतिम तिथि का इन्तजार किये बिना समय सीमा के भीतर ऑन–लाईन आवेदन करें।

<u>स्पष्टीकरण :–</u>

a. विज्ञापित पदों में राजस्थान के अ.जा./अ.ज.जा. के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा नियम 1999 के नियम 7 के उपनियम (4) के प्रावधानान्तर्गत तब तक अग्रनीत किया जायेगा जब तक यथास्थिति, राजस्थान के अजा./अ.ज.जा. के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाते। किन्हीं भी परिस्थितियों में राजस्थान के अ.जा./अ.जजा. के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित पदों को अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जायेगा।

b. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./वि.पि.व. के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा।

c. विभाग द्वारा भरे जाने वाले उक्त रिक्त पदों में महिला, विशेष योग्यजन, भूतपूर्व सैनिक एवं उत कृष्ट खिलाड़ी हेतु आरक्षित पद का आरक्षण दण्डवत रूप से होगा, परन्तु जिस प्रवर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध होगें उसे सम्बन्धित प्रवर्ग में, जिसके वे अभ्यर्थी हैं, उसे उस ही प्रवर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा। महिला अभ्यर्थियों के लिये रिक्तियों का आरक्षण प्रवर्गनुसार 30 प्रतिशत होगा, जिसमें से 8 प्रतिशत विधवा महिला अभ्यर्थियों तथा 2 प्रतिशत परित्यक्ता महिला अभ्यर्थियों के लिए होगा।

d. किसी वर्ग (सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति,) के पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उस पद को उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

e. विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी जाति (अ.जा./अ.ज.जा.) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम एवं आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

f. विशेष योग्यजन के लिये दर्शाए गये आरक्षित पदों के लिए पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, इन पदों को राजस्थान विशेष योग्यजन व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के अनुसार भरा जाएगा तथा नियम 5 (4) के अनुसार विशेष योग्यजन व्यक्तियों की अनुपलब्धता के कारण या अन्य किसी भी पर्याप्त कारण के, पद भरा नहीं जा सकता हो वहां ऐसी रिक्ति को 3 भर्ती वर्षों तक अग्रनीत किया जायेगा।

g. ऐसे आवेदक जो विशेष योग्यजन की श्रेणी में आते हैं, अपनी निःशक्तता के सम्बन्ध में राजस्थान विशेष योग्यजन व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के अनुसार राजस्थान राज्य के किसी राजकीय अस्पताल में गठित मेडीकल बोर्ड (राजस्थान राज्य के नियमानुसार गठित तीन चिकित्सा अधिकारी वाला बोर्ड) द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का स्पष्ट प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता को होने पर ही आवेदक विशेष योग्यजन व्यक्तियों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जायेगा।

h. उत्कृष्ट खिलाड़ियों से अभिप्रेत हैं और उसमें सम्मिलित है, राज्य से ऐसे खिलाड़ी जिन्होनें अर्न्तराष्ट्रीय ओलम्पिक समिति और भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त स्पोर्टस और खेलों में या बैडमिन्टन, टेनिस, शतरंज और क्रिकेट में उनसे सम्बन्धित राष्ट्रीय स्तर के संघ, फैडरेशन या बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त अर्न्तराष्ट्रीय चैम्पियनशिप में निम्नलिखित विवरणानुसार व्यक्तिशः या टीम के सदस्य के रूप में भाग लिया हो :–

    एशियाई खेलों, एशियाई चैम्पियनशिपों, राष्ट्रमण्डल खेलों, विश्व चैम्पियनशिप, विश्व के विश्वविद्यालय खेलों, विश्व स्कूल खेलों, दक्षेस खेलों या ओलम्पिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो, जहां उसने (किसी व्यक्तिगत आईटम में) या उसकी टीम ने (टीम स्पर्धा में) प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त किया हो।

i. ऐसे आवेदक जो किसी भी प्रकार की छूट का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें संबंधित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

j. अभ्यर्थियों का अन्तिम चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा।

k. विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विभाग द्वारा विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है।

राज्य सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को साक्षात्कार के समय अपने विभागाध्यक्ष का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

10. विवाहित स्त्री/पुरूष आवेदन–पत्र में अपने पति/पत्नि के नाम का उल्लेख करेंगे तथा जिन आशार्थियों का विवाह 22.05.06 या उसके पश्चात हुआ है, वे विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न प्रस्तुत करें तथा दिनांक 22.05.06 के पूर्व विवाहित हुए अथवा अविवाहित आशार्थी संलग्न प्रारूप में (जो भी लागू हो) शपथ–पत्र प्रस्तुत करेंगे ।

11. प्रत्येक आवेदक को साक्षात्कार के समय इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसे किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया जाकर दंडित नहीं किया गया है एवं उसके विरूद्ध किसी प्रकार का कोई दाण्डिक मामला न्यायालय में लम्बित नहीं है और यदि लम्बित है तो उसका विवरण शपथ–पत्र में प्रस्तुत करेगा ।

12. <u>आवेदक आवेदन करने से पूर्व निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक रूप से ध्यान देवें:–</u>

<u>आवेदन पत्र के साथ कोई प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है।</u> अभ्यर्थी अपने स्तर पर यह जांच कर ले कि जिस श्रेणी में वह बैठ रहा है वह उसके योग्य है। जिस श्रेणी में वह बैठ रहा है वह अभ्यर्थी की योग्यता की जांच अंतिम परिणाम जारी होने पर तथा नियुक्ति से पूर्व की जायेगी यदि कोई अभ्यर्थी र्नियोग्य पाया गया तो उसका आवेदन निरस्त समझा जायेगा और उसे गलत सूचना के लिए अभियोजित किया जायेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी सद्भाविक भूल की प्रतिरक्षा मान्य नहीं होगी। व्यक्तिशः या डाक से आवेदन पत्र व शुल्क स्वीकार नही किये जायेंगे। यदि कोई प्रेषित किये जाते हैं तो स्वीकार नहीं होंगे व नष्ट कर दिये जायेंगे।

<u>नियुक्ति से पूर्व निम्नांकित प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से पेश करने होंगे:–</u>

a) जन्म तिथि प्रमाण पत्र
b). आयु सीमा में छूट के संबंध में प्रमाण पत्र।
c). शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र।
d). शैक्षणिक संस्थान जिसमें नियमित रूप से अंतिम शिक्षा ग्रहण की है, के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र।
e). अन्य दो मूल चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक सहित जो छः माह से अधिक पुराने नहीं हों।
f). आवेदन पत्र पर स्वयं का हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट साईज फोटो।
g). राज्य सेवा में कार्यरत कर्मचारी अपने विभागाध्यक्ष की स्वीकृति पत्र।

13 **<u>नियुक्ति के लिये निरर्हता :–</u>**

A. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके 1.6.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक सन्तान/बच्चे हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हेागा परन्तु यह और कि यदि किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है किन्तु पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती है वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक ईकाई समझा जावेगा परन्तु यह भी कि दिनांक 06.07.2010 से 280 दिन के भीतर किसी संतान का जन्म निरर्हता नहीं होगी।

B. किसी भी ऐसे पुरूष/महिला अभ्यर्थी को जिसके एक से अधिक जीवित पत्नि/पति हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है, यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है।

C. किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरूष से विवाह किया है, जिसके पहले जीवित पत्नि है, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है, यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है।

D. किसी भी विवाहित पुरूष/महिला अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा, यदि अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा।
<u>स्पष्टीकरण</u> – इस नियम के प्रयोजन हेतु दहेज से वही तात्पर्य होगा, जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (सेंन्ट्रल एक्ट, 28 ऑफ 1961) में है।

E. राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 6 (19) गृह–13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है।

F. राजस्थान लोक सेवा आयोग/राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित किये गये ऐसे आवेदन जिनके वंचित होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति के अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस पद हेतु आवेदन नहीं कर पाऐंगे।

G. अभ्यर्थी लिखित व मौखिक सिफारिश करवाता है तो नियुक्ति के लिये अयोग्य माना जावेगा।

H. राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देश सर्वथा लागू होंगे

14. **<u>साक्षात्कार :–</u>**

आवेदन करने वाले जिन अभ्यर्थियों के आवेदन–पत्र सही पाए जावेंगे, उनकी सूची दिनांक **18.08.2014** को जिला न्यायालय की वेबसाईट www.djcourtajmerexam.in एवं इस न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जावेगी। इस संबंध में अभ्यर्थी को पृथक से कोई सूचना

प्रेषित नहीं की जावेगी। साक्षात्कार हेतु योग्य पाए गए आवेदकों का **<u>साक्षात्कार दिनांक 13. 09.2014 को तथा यदि आवश्यकता रही तो दिनांक 14.09.2014 को व अग्रिम दिवसों पर प्रातः 10.00 ए.एम से जिला न्यायालय परिसर, अजमेर में लिया जावेगा।</u>** जिसकी सूचना भी जिला न्यायालय, अजमेर की वेबसाईट www.djcourtajmerexam.in एवं नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध कराई जावेगी। इस संबंध में भी अभ्यर्थी को पृथक से कोई सूचना प्रेषित नहीं की जावेगी इसलिए वह समय समय पर इस कार्यालय की वेबसाईट का अवलोकन करता रहे। **<u>आवेदक को आवेदन पत्र में उल्लेखित अपने सभी प्रमाण–पत्रों को यदि नियुक्ति होती है तो प्रस्तुत करना अनिवार्य है।</u>**

15. <u>आवेदन–पत्र :–</u>

आवेदन पत्र ऑन–लाईन जिला न्यायालय की वेबसाईट ***<u>www.djcourtajmerexam.in</u>*** से भरे जा सकेंगे, किसी भी रूप में ***<u>हाथ से भरा हुआ या सीधे भेजे जाने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे व बिना किसी सूचना के रद्द कर दिये जायेंगे।</u>***

भर्ती संबंधी समस्त जानकारी उपरोक्त वेबसाईट पर समय–समय पर उपलब्ध कराई जायेगी। आवेदन पत्र के साथ कोई प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है।

आवेदक आवेदन करने से पूर्व निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक रूप से ध्यान देवें:–

व्यक्तिशः या डाक से आवेदन पत्र व शुल्क स्वीकार नही किये जायेंगे। यदि कोई प्रेषित किये जाते हैं तो स्वीकार नहीं होंगे व नष्ट कर दिये जायेंगे। यदि अभ्यर्थी वर्तमान में सेवारत हो तो उसका प्रार्थना पत्र में उल्लेख करें, राजकीय सेवारत कर्मचारी को अपने विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा।

<u>नोटः</u>–उपरोक्त भर्ती के सम्बन्ध में उपयुक्त सूचनाऐं जिला एवं सेशन न्यायालय, अजमेर की बेबसाईट *<u>www.djourtajmerexam.in</u>* एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध रहेगी तथा समस्त जानकारी प्राप्त करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। भर्ती कार्यक्रम एवं परिणाम की विभिन्न तारीखों में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर एवं उक्त वेबसाईट पर उपलब्ध करा दी जावेगी जिसकी पृथक से कोई सूचना अभ्यर्थी को प्रेषित नही की जावेगी।

अध्यक्ष
(चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती समिति)
जिला एवं सैशन न्यायालय, अजमेर

:: दोष सिद्धि नहीं होने का शपथ–पत्र ::
(10/– रू. के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर)

मैं..पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री...

उम्र .... वर्ष जाति..निवासी ....

शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मुझे किसी न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया जाकर दण्डित नहीं किया गया है तथा मेरे खिलाफ कोई दाण्डिक मामला न्यायालय में लम्बित नहीं है ।

स्थान :

दिनांक : हस्ताक्षर शपथकर्ता

मैं...सत्यापित करता हूँ/करती हूँ कि शपथ–पत्र में अंकित उक्त तथ्य मेरी निजी जानकारी के अनुसार सही एवं सत्य हैं । ईश्वर मेरा साक्षी है ।

स्थान :

दिनांकः हस्ताक्षर शपथकर्ता

:: विवाह में दहेज नहीं लेने का शपथ–पत्र ::
(10/– रू. के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर)

मैं..पुत्र श्री...

उम्र .... वर्ष जाति..निवासी ....

शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि मैंने अपने विवाह में किसी भी प्रकार के दहेज की मॉग नहीं की है ।

स्थान :

दिनांक : हस्ताक्षर शपथकर्ता

मैं...सत्यापित करता हूँ कि शपथ–पत्र में अंकित उक्त तथ्य मेरी निजी जानकारी के अनुसार सही एवं सत्य हैं । ईश्वर मेरा साक्षी है ।

स्थान :

दिनांकः हस्ताक्षर शपथकर्ता

<u>संतान संबंधी घोषणा का शपथ–पत्र</u>
(10/– रू. के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर)

मैं..पुत्र/पुत्री श्री..

.निवासी...यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान उत्पन्न नहीं हुई है।

या

मैं..पुत्र/पुत्री श्री...
निवासी...यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं अविवाहित हूँ।

स्थानः शपथग्रहिता

दिनांक :–

सत्यापन

मैं, ..., उपरोक्त शपथग्रहिता सशपथ सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र के तथ्य मेरी निजी जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार सही व सत्य है। ईश्वर मेरी मदद करे।

स्थानः शपथग्रहिता

दिनांक :–

<u>शपथपत्र</u>

मैं..पुत्र/पुत्री श्री..
निवासी..यह घोषणा करता/करती हूँ मेरा विवाह
श्रीमती/श्री ....निवासी ....के साथ सम्पन्न
हुआ था। परन्तु अनिवार्य विवाह पंजीकरण दिनांक 22.05.2006 को लागू होने से पूर्व दिनांक
.................................को सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं है।

या

मेरा विवाह श्रीमती/श्री ....निवासी
....के साथ दिनांक ....को राजस्थान राज्य के बाहर
सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है।

या

मैं ....अविवाहित हूँ।

या

मैं.......................................विधुर/विधवा हूँ(पत्नी/पति श्री /श्रीमती................................)

या

मैं ....तलाकशुदा हूँ।(प्रमाण पत्र संलग्न है)**या**

या

मैं परित्यक्ता हूँ एवं मेरा विवाह श्री.. के साथ
दिनांक.........................को सम्पन्न हुआ था।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं, ..., उपरोक्त शपथग्रहिता सशपथ सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र के तथ्य मेरी निजी जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार सही व सत्य है। ईश्वर मेरी मदद करे।

स्थानः शपथग्रहिता

दिनांक :–

<u>धूम्रपान एवं गुटखा सेवन न करने के सम्बन्ध में प्रपत्र</u>

<u>–: वचनबंध प्रपत्र :–</u>

मैं ....पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती...

निवासी...

वचनबद्ध हूं कि मैं धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नही करता हूं/करती हूं।

हस्ताक्षर
वचनबद्धकर्ता